

परियोजना का नाम - गइसारी - कुल्पाणी मोटर मार्ग का विस्तार

लम्बाई : 3.000 किलोमीटर

एनपीवी की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

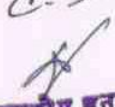
(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित 11.080 है०, सिविल 25 है०, पंचायती 25 है०) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र निर्धारित इकाई क्लास Vth के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का हरियाली का घनत्व 0.4 (प्रतिशत) है, इस हेतु एनपीवी की प्रति है० दर रु० 8,45,000/- (आठ लाख पैंतालीस हजार रुपये) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एनपीवी की धनराशि का आगणन रु० 9,12,600/- (नौ लाख बारह हजार छह सौ) मात्र किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
बेंजरो पोड़ी (गढ़वाल)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
बेंजरो (पोड़ी गढ़वाल)

C.S.

प्रधानीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पोड़ी